रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

35/2/72

सं० 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1972/माघ 1, 1893

No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1972/ MAGHA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 21st January 1972

S.O. 57(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Bengal Textile Mills Ltd., Cossimbazar, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1961 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Ltd., (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking namely, Bengal Textile Mills Ltd., Cossimbazar subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 9(24)Lic. Pol./70.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

का० आ० 57(अ)/18ए/आई डी आर ए/72.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लि०, कोसिम बाजार नामक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके संबंध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई है, प्रबंध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है;

अत:, अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (इसमें जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लि०, कोसिम बाजार नामक उपरोक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ; और

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी ।

[सं० फा० 9(24)/लाई० पाली०/70]

S.O. 58(E)/18/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Manindra Mills Ltd., Cossimbazar, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Ltd., (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Manindra Cotton Mills Ltd., Cossimbazar, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 9(24)/Lic. Pol./70.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का० आ० 58(अ)/18/आई डी आर ए/72.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि महिन्द्रा मिल्स लि०, कोसिम बाजार नामक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके संबंध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई है, प्रबंध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है;

अत: अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम (इस में जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को महिन्द्रा मिल्स लि०, कोसिम बाजार नामक उपरोक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा; और

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियक्ति को समाप्त कर सकती है।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से आरंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

[सं० फा० 9(24)/लाई०पालि०/70]

सु० कु० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972